न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/150/2024 रजू दिनांकः 19.11.2024 रजि0 न0 2024/263

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री रामबाबू यादव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण यादव, निवासी ग्राम—सकट तहसील राजगढ़, जिला अलवर—301415 (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर, जिला अलवर(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— **09.12.2024**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2265 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलय प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 17.09..2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नही मिलने बाबत आक्षेप व्यक्त किया है। अपीलार्थी के प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 17.09.2024 में अंकित प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2024 इस कार्यालय को अप्राप्त है, तद्नुसार आवेदन खारिज कर कार्यालय पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/2024/1946 दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 17.09.2024 में अंकित प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2024 इस कार्यालय को अप्राप्त है, तद्नुसार आवेदन खारिज कर कार्यालय पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/2024/1946 दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये रजिस्टर्ड प्रतिलिपि कमांक 2266—67 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)